आवती
22/01/24

(272)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 (0135) -2713724 फोन न0(0135) – 2713551

संख्या 301 /XXV–12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2024

सेवा में,

श्री सुनील कुमार सिन्हा
(अधिवक्ता)
साकेत बिहार देवघर
झाड़खण्ड।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सुनील कुमार सिन्हा (अधिवक्ता) साकेत बिहार देवघर झाड़खण्ड, आपका अनुरोध पत्र दिनांक 16.01.2024 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

बिन्दु सख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–01–2–3–5	लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1950 भाग 2क एवं भाग2ख (1 से 3 पेज)
बिन्दु– 4	1से 7 पेज में

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

B Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे ।]

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया---[1]* * * * *

(3) [2]*** धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर-- (1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर--** (1) [5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) [6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
[3] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना--** इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां--** (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

[3][[4]*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं--** इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

बिन्दु सं. 1, 2, 3, 5,

स्पष्टीकरण---उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, "प्रेक्षक" के अन्तर्गत प्रादेशिक आयुक्त या निर्वाचन आयोग का कोई ऐसा अधिकारी है जिसे आयोग द्वारा इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने का कर्तव्य सौंपा गया है ।]

21. रिटर्निंग आफिसर---निर्वाचन आयोग, हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्य द्वारा राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए, राज्य की सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो [1][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा :

परन्तु एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने से निर्वाचन आयोग को इस धारा की कोई बात निवारित न करेगी ।]

22. सहायक रिटर्निंग आफिसर---(1) निर्वाचन आयोग किसी रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा :

परंतु हर ऐसा व्यक्ति [1][सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा ।

(2) हर सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर के जो कृत्य [2]**** नामनिर्देशनों की संवीक्षा [3]*** से सम्बद्ध हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर तब तक न करेगा जब तक कि रिटर्निंग आफिसर उक्त कृत्य को करने से अपरिवर्जनीयतः निवारित न हो जाए।

23. रिटर्निंग आफिसर के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग आफिसर आएंगे---इस अधिनियम में रिटर्निंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

24. रिटर्निंग आफिसर का साधारण कर्तव्य---किसी भी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह वे सब कार्य और बातें करे जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो।

[4][**25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध**---जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबन्धित मतदान केन्द्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमशः उपबन्धित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।]

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति---(1) [5][जिला निर्वाचन आफिसर] हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन आफिसर और ऐसे मतदान आफिसर या ऐसे मतदान आफिसरों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान आफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन आफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित आफिसर की अनुपस्थिति के दौरान मतदान आफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन आफिसर को तद्नुसार इत्तिला देगा :

[6][परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन आफिसर को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसर नियुक्त करने से निवारित न करेगी ।]

(2) यदि मतदान आफिसर पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन आफिसर के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा ।

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 23 द्वारा "सरकार का आफिसर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 10 द्वारा "या मतगणना से" शब्दों का लोप किया गया।
[4] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 25 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित ।

बिन्दु सं० 6

संख्या– 2125/XXV–20/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2017.

विषयः– <u>निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–107/XXV–107–2(1)/2007 दिनांक 23 जनवरी, 2016 के फलस्वरूप निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के स्वीकृत कुल 109 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान स्थापित स्टाफिगं पैटर्न को उत्तराखण्ड शासन कार्मिक विभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–90/XXX(2)/2015 दि0 26 जुलाई .2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में स्वीकृत 109 पदों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वेतन वेतनबैण्ड व स्तम्भ–4 वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन लेवल के अनुसार विभागीय संरचना का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:–

क0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड वेतन के आधार पर (सातवें वेतन यथा पुनरीक्षित)	ग्रेड वेतन	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत पदों की संख्या	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
					प्रतिशत	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	44	32 %	46
2	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	29	28 %	26
3	प्रधान सहायक	9300–34800	4200	18	18 %	13
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	13	8 %	10
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	5	8 %	09
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100	5400	0	6 %	05
	कुल योग			109		109

–2–

उक्तानुसार अब विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क. सं.	जनपद का नाम	पदों का विवरण						
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कुल पदों का योग
1	देहरादून	4	2	1	1	1	1	10
2	हरिद्वार	4	2	1	1	0	1	09
3	उधमसिंहनगर	4	2	1	1	0	1	09
4	पौड़ी	4	2	1	1	0	1	09
5	अल्मोड़ा	4	2	1	1	0	1	09
6	उत्तरकाशी	3	2	1	1	1	0	08
7	चमोली	3	2	1	1	1	0	08
8	रूद्रप्रयाग	3	2	1	0	1	0	07
9	टिहरी गढ़वाल	4	2	1	1	1	0	09
10	पिथौरागढ़	3	2	1	1	1	0	08
11	बागेश्वर	3	2	1	0	1	0	07
12	चम्पावत	3	2	1	0	1	0	07
13	नैनीताल	4	2	1	1	1	0	09
कुल योगः–		**46**	**26**	**13**	**10**	**9**	**5**	**109**

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में विभागीय ढांचे का यदि भविष्य में संशोधन होता है, तो तदनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जायेगा। उक्त विषयक शासनादेश संख्या–107 दिनांक 23 जनवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। यह शासनादेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

<u>पु0संख्या 212 ऽ / XXV–20 / 20117, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड़ देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी लक्ष्मीरोड़ डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन अनुभाग
23 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 107/XXV–107–2(1)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–154/State Structure/2013-EPS/401, दिनांक 04 मार्च, 2014, सम संख्यांक और दिनांकित दो पत्र तथा पत्र संख्या–154/State Structure/2013, दिनांक 10 जनवरी, 2014 में जारी निर्देशों के अनुसरण में शासनादेश संख्या–2267 (1)/निर्वाचन/2001, दिनांक 11 जुलाई, 2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या–5597 ए/सीईओ–1–51/1–97, दिनांक 30 अप्रैल, 1998 शासनादेश संख्या–9279/17–ए–62/1–97, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–9281/17–ए–1–60/1–97, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–11158/17–ए–1–70/1–97, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–2634/17–ए–1–342/1–95 दिनांक 27 फरवरी, 1996 अधिसूचना– प्रकीर्ण संख्या–11512/17–ए–1–239–1–91, दिनांक 15 नवम्बर, 1995 के परिशिष्ट–2 के द्वारा पुनर्गठित निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क–मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हेतु–

क्र0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतनमान ₹	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (भारतीय प्र0 सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
2.	अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (भारतीय प्र0 सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
3.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (भारतीय प्र0 सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
4.	विशेष कार्याधिकारी/ SVEEP Expert.	01	(30,000-50,000 Fix)	Out Source/Deputation
5.	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (पी0सी0एस0/निर्वाचन सेवा संवर्ग)	01	वेतनमान– 37400-67000+8700	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पदोन्नति/पी0सी0एस0
6.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	01	वेतनमान– 15600-39100+6600	अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
7.	अनुभाग अधिकारी, (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	02	वेतनमान– 15600-39100+5400	समीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
8.	समीक्षा अधिकारी, (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	04	वेतनमान– 9300-34800+4800	सहायक समीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा

1	2	3	4	5
9.	सहायक समीक्षा अधिकारी	06	वेतनमान– 9300–34800+4600	50% पदोन्नति/ 50% लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा
10.	निजी सचिव	02	वेतनमान– 15600–39100+5400	वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव से पदोन्नति द्वारा
11.	वैयक्तिक सहायक/ अपर निजी सचिव	03	वेतनमान– 9300–34800+4200	सीधी भर्ती द्वारा
12.	कनिष्ठ सहायक/कम कम्प्यूटर आपरेटर	02	वेतनमान– 5200–20200+2000	सीधी भर्ती/अनुसेवक से पदोन्नति द्वारा
13.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (IT/MIS Specialist)	02	(50,000–1,00,000 Fix)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
14.	प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर (1–1)	02	(30,000–50,000 Fix)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
15.	वित्त नियंत्रक	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार
16.	अनुवादक (हिन्दी/अंग्रेजी)	01	(वेतन अनुसार–नियत)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
17.	वाहन चालक	04	वेतनमान– 5200–20200+2000	वर्तमान में स्वीकृत तीन नियमित पदों के अतिरिक्त एक पद वाह्य स्रोत से (Out Source)
18.	अनुसेवक/चौकीदार	07	वेतनमान– 5200–20200+1800	वर्तमान में स्वीकृत/ कार्यरत नियमित पदों के अतिरिक्त दो पद वाह्य स्रोत से (Out Source)
19.	सफाई का कार्य		सफाई का कार्य वाह्य स्रोत से संविदा पर	
	कुल योग	42		

ख–जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु–

क्र0 सं0	पदों का विवरण	कुल स्वीकृत पद	वेतनमान ₹	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी, (पदेन जिलाधिकारी)	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
2.	अपर जिला निर्वाचन अधिकारी	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
3.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
4.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (निर्वाचन सेवा संवर्ग) (राजपत्रित समूह–ख)	13	वेतनमान–15600–39100+5400	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, (राजपत्रित)	05	वेतनमान–9300–34800+4800	जनपद देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के लिए एक–एक पद (प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति द्वारा).
6.	प्रशासनिक अधिकारी	13	वेतनमान–9300–34800+4600	प्रत्येक जनपद के लिए एक पद (प्रधान सहायक से पदोन्नति द्वारा)
7.	प्रधान सहायक	18	वेतनमान–9300–34800+4200	जनपद देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के लिए दो–दो पद तथा शेष जनपदों के लिए एक–एक पद (वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा)
8.	वरिष्ठ सहायक, (पूर्व पदनाम प्रवर सहायक)	29	वेतनमान–9300–34800+2800	जनपद टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर के लिए तीन–तीन, जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए दो–दो तथा जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत के लिए एक–एक पद (कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा)

1	2	3	4	5
9.	कनिष्ठ सहायक	44	वेतनमान–5200–20200+2000	जनपद टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर के लिए चार–चार, उत्तरकाशी, चमोली के लिए तीन–तीन एवं रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत के लिए एक–एक पद (सीधी भर्ती/अनुसेवक से पदोन्नति द्वारा)
10.	अनुसेवक/चौकीदार	39	वेतनमान–5200–20200+1800	प्रत्येक जनपद के लिए तीन पद वर्तमान में कार्यरत नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त नव सृजित 20 पद वाह्य स्रोत से (Out Source)
11.	वाहन चालक	13	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
12.	सहायक प्रोग्रामर	13	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
13.	सफाई का कार्य		वाह्य स्रोत से संविदा पर	
	कुल योग	226		

ग–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर (ERO/RO) कार्यालय हेतु–

क्र0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	वरिष्ठ सहायक	70	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)

घ–सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रिटर्निंग आफिसर (AERO/ARO) तहसील कार्यालयों हेतु–

क्र0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ सहायक कम डाटा इण्ट्री आपरेटर	100 114	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
	महायोग–	438		

100
48
148

114
34

2–उपरोक्त खण्ड–ख के क्रम संख्या–5, 6, 7 एवं 8 पर अंकित पदों पर कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–153/XXX(2)/2015–3(2) 2010, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के साथ पठित सम संख्यांक अधिसूचना प्रकीर्ण दिनांक 09 अप्रैल, 2015 *उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015* में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित पदों पर कार्मिक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

3–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–05, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर, 103–निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण, 05–निर्वाचन अधिष्ठान व्यय की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4–उक्त शासनादेश तत्काल प्रभावी होगा। तद्नुसार सुसंगत सेवानियमावली में यथा समय संशोधन कर लिए जायेंगे।

5–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–88/XXVII(7)/2015, दिनांक 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 20–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 निर्वाचन/114–29–02–2016–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

16/01/24
प्राप्त

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय,
देहरादून, उत्तराखंड।

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की 2(F) के तहत सूचना प्राप्त करने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के तहत् मुझे निम्नलिखित सूचनाऐं उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय :-

1. राज्य में निर्वाचन कार्य किस कैडर के अधिकारी से करवाए जाते हैं?
2. ERO, AERO किस कैडर के पदाधिकारी को बनाया जाता है?
3. लोकसभा, विधान सभा के चुनाव हेतु RO, ARO किस कैडर के पदाधिकारी होते है?
4. क्या राज्य में पृथक निर्वाचन कैडर है?
5. अनुमंडल एवं जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य किस कैडर के पदाधिकारियों से सम्पन्न करवाये जाते है?

कृप्या उपरोक्त सूचनायें कंडिकावार उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए।

शुल्क – दस रूपये का Postal Order No. 59F 955658 संलग्न।

विश्वासभाजन

Sunil Kumar Sinha
18/12/23

सुनील कुमार सिन्हा
(अधिवक्ता)
साकेत बिहार, देवघर, झाड़खंड
पिन–814113
मोबाईल–7903621934